



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-18.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Shri Magunta Sreenivasulu Reddy के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 16 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	PERLAPATI CHARAN TEJA CHARI	VIJAYA BHASKARA CHARI, MOB- 9505599789	V	RAJAMPALLI
2	KUNDURU AVINASH REDDY	SRINIVASULA REDDY, MOB- 9000001137	VI	RAJAMPALLI
3	KUMBHAGIRI YASHIKA	RAJESH, MOB- 9440265441	I	RAJAMPALLI
4	KOLLA SYAM AKHILESH	VAMSI KRISHNA, MOB- 9100929646	II	RAJAMPALLI
5	YERUVA BALA ESWAR REDDY	V. NARAYANA REDDY, MOB- 9505259666	VII	RAJAMPALLI
6	DUDEKULA AFRIDI	NASARU VALI, MOB- 8309422639	I	RAJAMPALLI
7	JUVVISE TTI DEVI NAGA PRASANNA	KISHORE BABU, MOB- 9704715008	IV	ONGOLE
8	MOKSHAA SHRE MUNNAN GI	SURESH REDDY, MOB- 9100385717	I	ONGOLE
9	PALAVELLI VARNIKA REDDY	VENKATA SURENDRA REDDY, MOB- 9948955464	I	ONGOLE
10	BELLA NUTHAN ASREE	PATTABHI RAMAIAH, MOB- 9440338428	I	ONGOLE

पिया ठाकुर कृ. पू. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करे।

प 21 01/02
18/8/20

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Magunta Sreenivasulu Reddy माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

